न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, शैतान सिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व वाद संख्या :– 20/2020

वादीगण :–

1. सुशीला पुत्र भाकरराम जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी हाल निवासी ग्राम बोयल तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
2. ओमप्रकाश पुत्र भाकरराम
3. श्यामलाल पुत्र भाकरराम
4. जगदीश पुत्र भाकरराम

जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भाकरराम पुत्र रूपाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– वादीगण की ओर से अधिवक्ता अब्दुल सलीम खां
प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता संग्रामसिंह

निर्णय **दिनांक :–** 29.09.2020

वकील वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक की संयुक्त परिवार की पुश्तैनी सहदायिकी संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भूमि ग्राम/कस्बा बोयल की राजस्व सीमा में आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 504 व पुराणा 411 में खसरा संख्या 1515 रकबा 2.4432 हैक्टेयर खसरा संख्या 1517 रकबा 1.3106 खसरा संख्या 1518/1 रकबा 1.8445 खसरा संख्या 1519 रकबा 2.4594 खसरा संख्या 1520 रकबा 2.4917 खसरा संख्या 1521 रकबा 2.3946 कुल खसरा 06 रकबा 12.9440 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है जो प्रतिवादी संख्या एक के नाम से राजस्व रेकर्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज हैं तथा ग्राम तिलवासनी की सरहद में खाता संख्या 622 व पुरना 469 के अनुसार खसरा संख्या 01 रकबा 1.3510 खसरा संख्या 02 रकबा 2.1924 किस्म बारानी द्वितीय खसरा संख्या 03 रकबा 5.0886 किस्म बारानी तृतीय कुल खसरा 03 रकबा 8.6320 हैक्टेयर सहखातेदारी की उक्त तिलवासनी के तीनों खसरों में प्रतिवादी संख्या एक के नाम से दर्जसुदा आई हुई है जिसे इस वाद पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के रूप में सम्बोधित किया जायेगा। जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2075 रो 2078 व गिरदावरी मय ट्रेस नक्शा मय वाद पत्र के साथ सलग्न हैं। वादीगण प्रतिवादी संख्या एक के साथ वादग्रस्त आराजी पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त होकर संयुक्त परिवार के साथ कृषि कार्य करता आ रहे हैं व आज भी लगातार बेरोक–टोक वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त हैं लेकिन पिछले कुछ वर्षो से वादीगण ने अपने पिता प्रतिवादी संख्या एक से अलग निवास करना शुरू कर दिया है लेकिन संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पूर्ण चल अचल सम्पति का बंटवाड़ा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक के मध्य नहीं हुआ हैं वादीगण को पुश्तैनी सम्पति में से

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

बंटवाड़ा करके कोई चल अचल सम्पति अपने पिता भाकरराम से व दादा रूपाराम जी से बंटवाड़े के रूप में विरासती सम्पति प्राप्त नहीं हुई हैं। वादीगण जो कि अपने माता–पिता से अलग निवास करने लग गये है तथा अपना जीवन यापन भी अपनी आय से करता आ रहे हैं ऐसे में वादीगण को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूर एवं कृषक व्यक्ति होने के कारण पुश्तैनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य करके भी जीवन यापन करना पड़ता हैं इसलिए वादीगण अपनी पुश्तैनी सम्पूर्ण सम्पतियों व वादग्रस्त कृषि भूमि में राजस्व रेकर्ड में अपना नाम व हक हिस्सा दर्ज नहीं होने के कारण सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिलता हैं वादीगण सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं इसलिए वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना आवश्यक हैं ताकि वादीगण सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सके तथा अपने नाम दर्ज होने पर सभी दस्तोवजी कार्यवाही सुगंमता पूर्वक कर सके। वादीगण का प्रतिवादी संख्या एक के साथ–साथ अपने जन्म के साथ ही वादग्रस्त आराजी में अपना हक व हिस्सा कानूनी तौर पे हिन्दू विधि के अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये थे लेकिन वादीगण बालिक होने के पश्चात उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हुआ हैं इसलिए वादीगण का नाम वादग्रस्त आराजी में माफिक हक हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक हैं। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी में से अपने पिता भाकरराम के खातेदारी एवं सहखातेदारी की पुश्तैनी सहदायिकी संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति वादग्रस्त आराजी जो कि वादीगण के पिता को वादी के दादा से विरासत में प्राप्त हुई में से अपना हक व हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया जिस हेतु वादीगण ने प्रतिवादी संख्या एक व दो से सम्पर्क कर दिनांक 20.01.2020 व दिनांक 10.02.2020 को वादग्रस्त आराजी में से रकबे के अनुसार हिन्दू विधि के अनुसार उक्त खसरे में से जो हक हिस्सा बंट वादीगण का बनता हैं उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दे लेकिन प्रतिवादीगण ने न्यायालय के आदेश के बगैर स्वयं राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने व करवाने में अक्षमता जाहिर की ऐसी स्थिति में वादीगण के पास श्रीमान न्यायालय के समक्ष अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु वादग्रस्त प्रस्तुत करवाने के आलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया इसलिए श्रीमान न्यायालय के समक्ष वादीगण का यह वाद वास्त वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का पेश करना पड़ रहा हैं। वादीगण जो कि प्रतिवादी संख्या एक की जायंदा संतान हैं इस कारण वादीगण का वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या एक के साथ–साथ उनके समान ही ग्राम बोयल की वादग्रस्त आराजी के खसरान में प्रवितादी संख्या एक के साथ – साथ प्रत्येक वादीगण का 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 वां हिस्सा बनता है तथा ग्राम तिलवासनी की वादग्रस्त आराजी में वादीगण का प्रतिवादी संख्या एक के साथ 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 वां हिस्सा बनता हैं क्योकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक दोनों ही हिन्दू विधि की मिताक्षरा साखा से शासित होते है उनके अनुसार उपरोक्त वर्णित अनुसार वादीगण का प्रतिवादी संख्या एक के साथ उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या एक जो वादीगण के पिता हैं के नाम से दर्ज वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक का प्रत्येक सभी का 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 वां हिस्सा बनता

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ... (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

हैं प्रतिवादी संख्या एक अकेले ही सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहा हैं तथा बाले–बाले तरिके से वादग्रस्त आराजी को बैचान भी कर सकता जिससे वादीगण अपने हक हिस्से व अधिकार सुदा वादग्रस्त आराजी से वंचित रह जायेंगे इसलिए यह वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा हैं। दिनांक 11.06.2019 को वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या एक को वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार बनाने के निवेदन के बावजूद सहखातेदा नहीं बनाने व वादीगण को वादग्रस्त आराजी से प्राप्त होने वाले निहित सभी अधिकारों से वंचित कर देने की धमकियां के कारण वाद कारण ग्राम बोयल में उसी दिन पेदा हुआ जिस पर वादीगण ने वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड हल्का पटवारी से प्राप्त कर यह वाद प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही की वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण संख्या एक के विरूद्ध डिक्री इस आशय की फरमाई जावे की वादग्रस्त आराजी ग्राम बोयल के खाता संख्या 504 के खसरा संख्या 1515,1517,1518/1,1519,1520,1521 कुल खसरा 06 रकबा 12.9440 हैक्टेयर किस्म बारनी प्रथम में वादीगण के सहखातेदारी अधिकार प्रतिवादी संख्या एक के साथ प्रत्येक वादीगण को 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 वां हिस्सा तथा ग्राम तिलवासनी की सरहद में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 01,02, 03 कुल खसरा 03 रकबा 8. 6320 हैक्टेयर किस्म बारनी द्वितीय व तृतीय में वादीगण का सहखातेदारी अधिकार प्रतिवादी संख्या एक के साथ प्रत्येक का 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 1/10 वां हिस्सा घोषित कर राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम माफिक घोषणा हक हिस्से दर्ज किये जाने का निवेदन किया हैं ।

वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादी संख्या एक की ओर से वकील सग्रांम सिंह चौहान ने वकालतनामा एवं एडमिटेड जवाब प्रस्तुत करे निवेदन किया है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तो कोई आपति नही है । वादी के वकील के मार्फत लिखित राजीनामा न्यायालय में पेश कर जरिये राजीनामा प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया जिस पर उभय पक्षकारान को उपस्थित न्यायालय होने पर राजीनामा बाबत् तस्दीक किया गया था दोनों ही पक्षकारान ने राजीनामा के जरिये प्रकरण का निस्तारण करवाना चहा जिस पर पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय के विनम्र मत में पाया की प्रकरण का निस्तारण राजीनामा के जरिये किया जा चुका हैं ऐसी स्थिति में उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा न्यायालय में लिखित रूप में प्रस्तुत करने तथा इसकी तस्दीक उभय पक्षकारान द्वारा कर देने के कारण प्रकरण में तंकियात तय करना आवश्यक नहीं हैं व तनकियात तय नहीं होने के कारण किसी प्रकार के साक्ष्य लिये जाने की आवश्यकता नहीं हैं दोनो ही पक्षकारान ने वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी सम्पति होना स्वीकार करते हुए वादीगण संख्या एक से चार का प्रतिवादी संख्या एक के साथ संयुक्त रूप से ग्राम बोयल की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि में 1/5 वां हिस्सा तथा ग्राम तिलवासनी की राजस्व सीमा में स्थित भूमि में 1/10 वां हिस्सा हिन्दू विधि के अनुसार बनना निहित होना स्वीकार कर लिया हैं तथा वादग्रस्त आराजी बाबत् वाद पत्र के तथ्य एवं राजीनामा के तथ्यों के अवलोकन करने पर वाद पत्र के तथ्यों की सही होना साबित हैं इसलिए सही हैं एवं विधि अनुसार वादीगण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

पुश्तैनी सम्पति ग्राम बोयल की कृषि भूमि में 1/5 वां हिस्से तथा ग्राम तिलवासनी की कृषि भूमि में 1/10 वां हिस्सा के प्रत्येक वादीगण प्रतिवादी संख्या एक के साथ निहित हिस्सा रेकर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी हिन्दू विधि के अनुसार हैं ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण संख्या दो तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बोयल के खाता संख्या 504 के खसरा संख्या 1515,1517,1518/1,1519,1520,1521 कुल खसरा 06 रकबा 12.9440 हैक्टेयर किस्म बारनी प्रथम में वादीगण के सहखातेदारी अधिकार प्रतिवादी संख्या एक के साथ प्रत्येक वादीगण को 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 वां हिस्सा तथा ग्राम तिलवासनी की सरहद में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 01,02, 03 कुल खसरा 03 रकबा 8.6320 हैक्टेयर किस्म बारनी द्वितीय व तृतीय में वादीगण का सहखातेदारी अधिकार प्रतिवादी संख्या एक के साथ प्रत्येक का 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 1/10 वां हिस्सा घोषित किया जाता है । तहसीलदार पीपाड़ शहर राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम माफिक घोषणा हक हिस्से दर्ज कर रेकर्ड में अमल दारामद करावे इस आशय की डिक्री अलग से मुर्तिब की जावे ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 29.09.2020 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D & 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास **शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S.**

सुशीला वगैरा बनाम भाकरराम वगैरा

दावा बाबत **88, आर टी एक्ट** राजस्व मूल वाद संख्या **20/2020**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील **अब्दुल सलीम खान** मनजानिव मुदई संग्राम सिंह चौहान, मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण संख्या दो तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बोयल के खाता संख्या 504 के खसरा संख्या 1515,1517,1518/1,1519,1520,1521 कुल खसरा 06 रकबा 12.9440 हैक्टेयर किस्म बारनी प्रथम में वादीगण के सहखातेदारी अधिकार प्रतिवादी संख्या एक के साथ प्रत्येक वादीगण को 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 वां हिस्सा तथा ग्राम तिलवासनी की सरहद में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 01,02, 03 कुल खसरा 03 रकबा 8.6320 हैक्टेयर किस्म बारनी द्वितीय व तृतीय में वादीगण का सहखातेदारी अधिकार प्रतिवादी संख्या एक के साथ प्रत्येक का 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 1/10 वां हिस्सा घोषित किया जाता है । तहसीलदार पीपाड़ शहर राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम माफिक घोषणा हक हिस्से दर्ज कर रेकर्ड में अमल दारामद करावे इस आशय की डिक्री अलग से मुर्तिब की जावे ।

लीज ....शून्य ....मुवलिक ....शून्य............ बाबत ....शून्य............. खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरद.............................शून्य...................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..............शून्य...................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.09.2020 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.............

ओहदा...............

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजोदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान..........			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान........		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned with CamScanner